मु.ज.-551-10,00,000-09.

APP-A
Crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम टोंक

हीरा मेडिकल एजेन्सी बनाम सदस्य सचिव मेडिकेयर एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक

किस्म मुकदमा अपील R.T.P.P. एक्ट नं. 80 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/10/19	अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित हैं। अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 3 के नियम 38 (1) में दिये गये निर्देशों में प्रथम अपील दायर करने की अवधि 10 दिवस निर्धारित की गई है। कार्यालय सदस्य सचिव मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी एंव प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोंक द्वारा विभिन्न प्रकार की जैनरिक औषधियां आपूर्ति हेतु की गई निविदा में तकनीकी निविदा दिनांक 3-9-2019 को खोली गई किन्तु अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 21-10-2019 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। अपीलान्ट द्वारा राजस्थान लोक उपायन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 के अध्याय 7 के नियम 84 के अनुसार प्रथम अपील प्रस्तुत करते समय निर्धारित शुल्क 2500/अक्षरे दो हाजार पॉच सो रूपये का डी0डी/ बेंकर चेक संलग्न नहीं किया गया है। अतः अपील विचारणीय नहीं होने से अस्वीकार की जाती है। जिला कलेक्टर टोंक	

जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kishore Kumar Sharma
Date: 2019.11.26 11:44:25 IST
Reason: SelfAttested